राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2999/2022

शबाना नाज

--अपीलार्थी

माध्यमिक शिक्षा

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

--प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 29.08.2022

नोट- आदेश दिनांक 31/8/22 के द्वारा संशोधन किया गया।

समक्ष :– **एम.एस. काला, सदस्य**
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री सलीम खान उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अपीलार्थी शारीरिक शिक्षक ग्रेड–II के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पीपल्या चौथ का बरवाडा, जिला सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी आलोच्य आदेश दिनांक 03.02.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान स्थान पर स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 24.02.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उसके उपरांत प्रत्यर्थी विभाग ने 28.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्याहारित करते हुए निरस्त कर दिया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.08.2022 अनुलग्नक–2 के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रधानाचार्य ने आदेशों की प्रतीक्षा में कर दिया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कहना है कि आलोच्य आदेश का क्रियान्वयन होने के उपरांत आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके समर्थन में अपीलार्थी के अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गंगाराम विश्नोई बनाम राज्य में प्रतिस्पादित सिद्धान्त की ओर ध्यान आकर्षित किया। उक्त आदेश में ये सिद्धान्त पतिस्पादित किया गया है कि उक्त आदेश की पालना होने के उपरान्त आदेश को निरस्त करना विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश जो कि विधि विरूद्ध है, को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किए जावे।

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

4. प्रश्न विचारणीय है। अपील ग्राह्य की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.07.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में चार सप्ताह तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश-पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. प्रत्यर्थीगण को दिनांक 17.11.2022 के जवाब अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

6. अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान् अभिभाषक के द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस एवं अपील, मय प्रलेख की प्रति, प्रस्तुत किये जावें। नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावें। इन निर्देशों की पालना न करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जावेगा।

7. पत्रावली दिनांक 17.11.2022 वास्ते जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(एम.एस. काला)
सदस्य

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
मिनी सचिवालय बनीपार्क, जयपुर
1. अपील संख्या ...2333/22...
2. श्री ...[illegible]...
3. बनाम ...[illegible]...
4. नि. दिनांक ...31/8/22...
5. को पारित आदेश / प्रस्तुत अपील / जवाब / प्रार्थना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

दि० 31-08-2022
प्रस्तुत
Sd/-
30.8.

दिनांक :- 31/8/22

समक्ष – अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, (सदस्य)

अपीलार्थी अधिभाषक को शुद्धिकरण प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 29/8/22 में प्रत्यर्थी विभाग का नाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा किया जाता है।

उक्त संशोधन मूल आदेश में लाल स्याही से किया गया है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(हस्ताक्षर)
शुचि शर्मा
(सदस्य)

(हस्ताक्षर)
अनन्त भंडारी
सदस्य (न्यायिक)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर)
सहायक रजिस्ट्रार
सिविल सेवा अपील अधिकरण
राजस्थान, जयपुर

<u>हस्ताक्षर मिलानकर्ता</u>

1. प्रार्थना पत्र क्रमांक ...4309...
2. रसीद क्रमांक ...9845/21...
3. दिनांक ...31/8/22...
4. निर्णय / आदेश / अपील / जवाब / प्रार्थनापत्र दिनांक ...29/8/22...
5. प्रतिलिपि तैयार करने की दिनांक ...31/8/22...
6. साधारण / आविश्यक ...
7. प्रयोजन रिकार्ड / ...
8. प्रतिलिपि शुल्क ...06...
9. अक्षरे ...
10. प्रतिलिपिकार के हस्ताक्षर ...